लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल-462023

क्रमांक/मान्यता/नि.वि.फीस/पी/2024–25/668 भोपाल, दिनांक 17.04.2025

प्रति,

1. **समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,**
   लोक शिक्षण, म.प्र.
2. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.**

विषयः–मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 एवं नियम 2020 के तहत निजी विद्यालय तथा शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए नियत की गई फीस संरचना (कक्षावार एवं संवर्गवार विभिनन मदों में) की जानकारी पोर्टल पर प्रविष्ट/अपलोड करने बाबत्।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र क्रमांक/मान्यता/नि.वि.फीस/पी/2024–25/661–662 दिनांक 16.04.2025

विषयांतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक/मान्यता/नि.वि.फीस/पी/2024–25/661–662 दिनांक 16.04.2025 के पैरा–3 को विलोपित किया जाता है तथा इसके स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावेः–

"उक्तानुसार स्थिति में ऐसे विद्यालय जिनकी सभी कक्षाओं की पृथक–पृथक वार्षिक फीस रुपये 25,000/– या उससे कम है, उन पर "मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन), अधिनियम, 2017" एवं नियम 2020 के उपबंध लागू नहीं होंगे। अतः नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण होने तक ऐसे विद्यालय जिनकी वार्षिक फीस पृथक–पृथक सभी कक्षाओं के लिए रुपये 25,000/– से अधिक नहीं है, को पोर्टल पर फीस संरचना अपलोड करने हेतु बाध्य न किया जाए।"

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

17/4/25

(के.के. द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्रमांक/मान्यता/नि.वि.फीस/पी/2024–25/669 भोपाल, दिनांक 17.04.2025

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री, स्कूल शिक्षा, भोपाल
2. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल
6. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.
7. समस्त बोर्ड (माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीबीएसई, आईसीएसई, भारतीय शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बोर्ड) से मान्यता प्राप्त समस्त निजी विद्यालय, म.प्र.
8. श्री आनंद मिश्रा, परियोजना प्रबंधक की ओर उपरोक्तानुसार पोर्टल खोले जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु
9. समस्त प्राचार्य/संचालक, अशासकीय स्कूल, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

17/4/25

संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल–402023

क्रमांक/मान्यता/नि.वि.फीस/पी/2024–25/661 भोपाल दिनांक 6/4/25

प्रति

1. समस्त संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण मध्य प्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   जिला– मध्य प्रदेश।

विषय–मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमयन) अधिनियम, 2020 के तहत निजी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिये नियत की गई फीस संरचना (कक्षावार एवं संवर्गवार विभिन्न मदो में) की जानकारी पोर्टल पर प्रविष्ट/अपलोड करने बावत।

संदर्भः–1.संचालनालय का पत्र कमांक/विद्या/नि.वि. फीस/पी/422/2022/1797 दिनांक 15.09.2022 एवं पत्र कमांक/विद्या/नि.वि. फीस/पी/422/2023–24/291 दिनांक 08.02.2024।

2.लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 1794 दिनांक 29.10.2024।

----000----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। मध्यप्रदेश के मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम) नियम–2020 के नियम 3 के उपनियम 1,2,3 एवं 4 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025–26 की जानकारी पोर्टल पर प्रविष्ट/अपलोड करने हेतु, पोर्टल दिनांक 31.03.2025 तक खोला गया था। कतिपय विद्यालयो को उक्तानुसार प्रविष्टि पोर्टल में करने के दौरान आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये पोर्टल पर प्रविष्ट की अंतिम तिथि 15.05.2025 तक नियत की जाती है।

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम) अधिनियम 2017 के संशोधन अधिनियम 2025 जो राजपत्र दिनांक 31.01.2025 को प्रकाशित किया गया है। उक्त संशोधन अनुसार अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 जोडी गई है कि "इस अधिनियम के उपबंध ऐसे निजी विद्यालयों को लागू होंगे जिनकी वार्षिक फीस किसी भी कक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित राशि से अधिक है, किन्तु ऐसी विहित राशि रूपये 25000/– (पच्चीस हजार रूपये) से कम नही होगी"। अधिनियम संशोधन के उपरांत नियमों में आवश्यक संशोधन संबंधित कार्यवाही प्रचलन में है।

उक्तानुसार स्थिति में ऐसे विद्यालय जिनकी किसी भी कक्षा की वार्षिक फीस 25000/– से कम है उन पर इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे। अतः नियमों में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण होने तक ऐसे विद्यालयों जिनकी वार्षिक फीस किसी भी कक्षा के लिए रूपये 25000/–से अधिक नहीं है को पोर्टल पर फीस की संरचना अपलोड करने हेतु बाध्य नही किया जाये।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठा. क्रमांक/मान्यता/नि.वि.फीस/पी/2024–25/662 भोपाल दिनांक 16/4/25

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
2. सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग सतपुडा भवन भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, भोपाल।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल।
6. समस्त बोर्ड (माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश, सीबीएसई, आईसीएसई, भारतीय शिक्षा बोर्ड एवं अन्य बोर्ड) से मान्यता प्राप्त समस्त निजी विद्यालय मध्य प्रदेश।
7. श्री आनंद मिश्रा, परियोजना प्रबंधक की ओर उपरोक्तानुसार पोर्टल खोले जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
8. समस्त प्राचार्य/संचालक अशासकीय स्कूल मध्य प्रदेश।

– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner